वर्णरत्नाकर में उल्लिखित पूर्वमध्यकालीन भारतीय राजतंत्र के अधिकारीगण : वर्णक ग्रन्थों का साक्ष्य

डा० भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता, अध्यक्ष

कविशेखराचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने मिथिला के कर्णाट् नरेश महाराजा हरिसिंह देव के राज्यकाल में पुरानी मैथिली में वर्णरत्नाकर[1] नामक एक कविशिक्षा विषयक ग्रंथ लगभग १३१८ ई० में लिखा। प्रस्तुत ग्रंथ का स्वरूप विश्वकोशात्मक है। इसमें तत्कालीन भारतीय संस्कृति के विविध आयामों का जितना विशद चित्रण है, उससे विशेषकर पूर्वोत्तर भारत के समाज-जीवन पर प्रखर प्रकाश पड़ता है। राजनीतिक अध्ययन की दृष्टि से भी इसमें पर्याप्त सामग्री है। इसमें समकालीन राजनीतिक स्थिति का भी सम्यक् परिचय मिलता है। इसमें राज्य वर्णन, राजवंशों का विवेचन, राजा और उसके कर्तव्य, सेना और उसके अंग, दुर्ग और स्कंधावार, सैनिक वेशभूषा, राजचिह्न, रणवाद्य, सैनिक शिक्षा, अस्त्र-शस्त्र तथा राज्याधिकारियों का विस्तृत विश्लेषण हुआ है। वर्णरत्नाकर में राजसभा का वर्णन कराते हुए 'स्थानवर्णना' शीर्षक के अन्तर्गत केन्द्रीय, प्रान्तीय, क्षेत्रीय तथा राज-दरबारी अधिकारियों एवं सेवकों की सात प्रकार की मिली-जुली सूचियाँ दो गई हैं[2] —

१. राजलोक।
२. राजोपजीवक लोक।
३. राजलोक (दूसरी सूची)।
४. राजविनोदक लोक।
५. पदिक।
६. राजसन्निधानवर्ती लोक।
७. राजपादोपजीवक।

इन सूचियों से पता चलता है कि सारा राज्य कई प्रान्तों में बँटा रहता था, जिसको 'भुक्ति' भी कहते थे। 'भुक्ति' को छोटे जिलों में बाँटते थे, जिनको 'विषय' कहा जाता था। तटवर्ती भागों के कारण मिथिला का पर्याय ही 'तीरभुक्ति' वन गया था। 'ग्राम' के नाम से छोटी इकाइयों में भी विभाजित करने की प्रथा थी। राजा राजधानी में रहता था। वह केन्द्र में प्रधान शासक रहता था। सलाह वा मंत्रणा देने के लिए यह मंत्रिपरिषद् नियुक्त करता था। प्रजा को अपनी सन्तान की तरह समझकर राजा पालन किया करता था। इसीलिए आदर्श राजशासन के संचालन के लिए तथा प्रजाहित के अधिकाधिक चिन्तन के लिए विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति होती थी। इसी प्रसंग में ज्योतिरीश्वर ने बड़े विस्तार से पदाधिकारियों की लम्बी सूची प्रस्तुत की है। इनमें हमने आधे से अधिक राज्या-

---

१. वर्णरत्नाकर, संपा० सुनीति कुमार चटर्जी, प्रका० एशियाटिक सोसाइटी वेंगल, कलकत्ता, १९४० ई०।

२. वर्णरत्नाकर, द्वितीय कल्लोल, पृ० ८-१०।

धिकारियों का विस्तृत अध्ययन अपने पहले के निबंध[1] में किया गया है। प्रस्तुत निवन्ध में विवेच्य विषय है :

(क) राजविनोदक लोक।

(ख) पदिक।

(ग) राजसन्निधानवर्ती लोक एवं

(घ) राजपादोपजिवक लोक।

इनमें वर्णित पाठों की तुलनात्मक समीक्षा अन्य वर्णक ग्रन्थों तथा प्राचीन अभिलेखों में उल्लिखित पाठों से की गई है।

"राजविनोदकलोक"

श्रोत्रिय—वेदज्ञ अथवा वेदाध्ययन करनेवाले ब्राह्मण श्रोत्रिय कहलाते थे। हरिसिंह देव के काल में जब श्रेणी विभाजन किया गया तो विद्या, बुद्धि, तेज और सदाचार से युक्त और वैदिक क्रिया-कलाप में निष्णात ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ मानकर श्रोत्रिय की श्रेणी में परिगणित किया गया।

आध्यायिक—अध्यापक, जो उपाध्याय भी कहलाते थे।

मौहुर्त्तिक—ज्योतिषी। अन्यत्र राजलोक के अन्तर्गत सांवत्सर के प्रसंग में इसका उल्लेख हो चुका है।

मणिमर्म्मज्ञ—रत्न परीक्षक। अंगविज्जा[2] में मणिकार इसी अर्थ को प्रकट करता है। वर्णक समुच्चय में मणियार[3] तथा सभा शृंगार में रत्न पारिखी[4] पाठ उपलब्ध होता है। रत्नों के काम करनेवाले रामायण काल में 'मणिकार' कहे गये हैं[5]।

सारण्यकुशल—शस्त्र को तेज करने वाला गुजराती में 'सराणिया' कहा जाता है[6]। सभा शृंगार के 'साहणिया' शब्द से तुलनीय लगता है[7]।

---

१. लेखक का निबन्ध : 'वर्णरत्नाकर में कथित राज्याधिकारियों का परिचयात्मक विवेचन' द जर्नल आफ् द बिहार रिसर्च सोसाइटी, भाग ५१, खंड १-४, जनवरी-दिसम्बर, १९६५, पृ० १२५-१५१।

२. अंगविज्जा, सम्पादक मुनि पुण्यविजय, प्रका० प्राकृत टेक्स सोसाइटो, वाराणसी, अ० २८।

३. वर्णक समुच्चय, संपा० डा० भोगीलाल ज० साडेसरा, म० स० विश्वविद्यालय बड़ौदा, १९६५ ई०।

४. सभा शृंगार, ना० प्र० सभा, संवत् २०१९, पृ० ५८।

५. रामायण, २।८३।१२।

६. गुजरातीकोश।

७. सभाशृंगार पृ० ५८।

गन्धकार—सुगंन्धित पदार्थ बनानेवाला। रामायणकाल में सुगंधि बनाने या वेचने वाला 'गंधोपजीवी' कहलाता था[1]। अंगविज्जा में 'गंधिक'[2] और वर्णक समुच्चय में 'गांधी'[3] पाठ मिलते हैं।

छुरिकार—छुरी बनानेवाला।

मल्ल—पहलवान। महाभारत में मल्लों का उल्लेख अंग-बंग और कलिंग के निवासियों के साथ हुआ है।[4] बौद्धग्रन्थ 'अंगुतरनिकाय' में उल्लिखित सोलह महाजनपदों में मल्ल का भी नाम है।[5] भीमसेन ने अपनी पूर्वी दिग्विजय के समय मल्लों के शासक को जीता था।[6] गौतमवुद्ध के समय में मल्लों के दो प्रसिद्ध निवासस्थान थे—पावा और कुशीनगरा।[7] महापरिनिब्बान सुखन्त के अनुसार मल्ल क्षत्रिय थे। अर्थशास्त्र तथा मज्झिमनिकाय में मल्ल संघ एवं गण कहे गये हैं।[8] ऐसा लगता है कि पूर्व मध्ययुग में मल्ल शब्द पहलवान के अर्थ में रूढ़ हो चला था। जातिविशेष में इसका सम्बन्ध नहीं था।

अम्नायिक—वेदपाठी आम्नाय शब्द का प्रयोग सामान्यतया वेद के लिए होता था। चरणों तथा शाखाओं के मूल ग्रंथ आम्नाय कहलाते थे। पंतजलि के अनुसार कंठ, कलापिन्, मौद और पैप्लाद शाखाओं के आम्नाय और धर्म काठक कालापक, मौदक और पौप्लादक थे।[9] भाष्यकार ने आम्नायों को अन्यभाष्य (भिन्न) कहा है, क्योंकि उनकी वर्णानुरूपी, स्वर, देश तथा काल नियत रहता था। आम्नाय पढ़ने का स्थान भी निश्चित था, चौरास्ते पर तथा श्मशान में नहीं पढ़ा जाता था। चतुर्दशी और अमावस्या को भी आम्नाय का पठन वर्जित था[10]।

ऐन्द्रजालिक—जादू अथवा इन्द्रजाल दिखानेवाला षाड्गुण्य कूटनीति सम्बन्धी उपायों में इन्द्रजाल का स्थान अन्तिम है। इसमें चतुरंग सेना का प्रदर्शन और अपनी सहायता के लिए देवताओं की सेना दिलाने, शत्रु को आतंकित करने के लिए रक्त वृष्टि करने और राजभवन के सामने शत्रु के कटे हुए शिरों का प्रदर्शन करने का विधान है[11]। पृथ्वीचन्द्र चरित्र में भी राजकर्मचारियों में 'इन्द्रजाली' का परिगणन है[12]।

भाषाविद्—कई भाषाओं को जानने वाला।

---

१. रामायण, २।८३।१३।
२. अंगविज्जा, पृ० १६०।
३. वर्णकसमुच्चय, भाग २, पृ० ९६।
४. महाभारत, भीष्मपर्व, ९।४६।
५. अंगुतरनिकाय, चतुर्थ भाग, पृ० २५२।
६. सभा श्रृंगार, ३०।१३।
७. वि० व० ला ट्रा० एन्स० इंडि०, पृ० २५७।
८. वही, पृ० २५८।
९. पातंजला महाभाष्य, ४।३।१२०।
१०. पतंजलि कालीन भारत, पृ० ४५५।
११. मत्स्य पुराण, २२२।२, अग्नि पुराण २४०।४६। ६६-६८।
१२. प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ, पृ० २३०।

लिपिवाचक—लिपियों का ज्ञाता तो कई लिपियों को स्पष्ट पढ़ लेता था। 'लेखक' की संज्ञा से इसे अंगविज्जा[1] तथा मानसोल्लास[2] में उद्धृत किया है। सोमेश्वर ने लेखक का लक्षण बताया है—सब देशों की लिपियों को जाननेवाला, लिखने में कुशल, पढ़ा-लिखा, वाचक, बुद्धिमान और पटु।[3]

श्रुतिधर—जो कुछ सुना उसे स्मृति में रखनेवाला।

महाकवि—महाकाव्य की रचना करने वाला।

शास्त्रज्ञ—धर्मशास्त्रों का ज्ञाता।

विषवैद्य—विषों की चिकित्सा करनेवाले विषवैद्य या गारुडिक होते थे[4]। अंगविज्जा में इसे 'विसतित्थिक' कहा है[5]।

नरवैद्य—मनुष्यों में चिकित्सा करने वाला।

गजवैद्य—हाथियों की चिकित्सा करनेवाले 'गजवैद्य' की चर्चा सभाश्रृंगार में भी राजसभा के अन्तर्गत मिलती है[6]। कौटिल्य ने हाथियों के उपस्थायिक (सेवक) वर्ग के अन्तर्गत हस्ति-चिकित्सक (हाथियों का कष्ट मिटाने के लिए नियुक्त गजवैद्य) का उल्लेख सबसे पहले किया है। मार्ग में चलते समय हाथी यदि व्याधि, कर्म, मद तथा बुढ़ापे से दुःखी हो जाता तो चिकित्सक तुरन्त उसके दुःख का प्रतिकार करता था[7]।

अश्ववैद्य—सभाश्रृंगार[8] आदि में इसकी चर्चा उपलब्ध है। कौटिल्य[9] के मत से घोड़ों के वैद्य घोड़े के शरीर में ह्रास और वृद्धि के प्रतिकार के सम्बन्ध में विभिन्न ऋतुओं के लिए उपयोगी आहार बताते थे।

चूड़ामणि—मुकुट पहनाने वाले।

कुतूहली—कौतूहलपूर्ण बातें बताने वाले राजविनोदक।

भार्गव—धनुर्धारी। पृथ्वीचन्द्र चरित्र में 'धनुर्धर' पाठ है[10]।

जोध—योद्धा। पृथ्वीचन्द्र चरित्र में 'योध' पाठ मिलता है[11]।

---

१. अंगविज्जा, अध्याय २८।

२. मानसोल्लास, विं० २, अ० २, श्लोक १३१।

३. वही।

४. विषवैद्यो जांगुलिकः गारुडिकस्य-अमरकोश १।८।११।

५. अंगविज्जा, पृ० १६०।

६. सभाश्रृंगार, पृ० ५८।

७. अर्थशास्त्र, २।३२।

८. सभाश्रृंगार, पृ० ५८।

९. अर्थशास्त्र, २।३०।

१०. प्राचीन गुजराती गद्य संदर्भ, पृ० १३१।

११. उपरिवत्।

वयकार—बुनकर। वर्णकसमुच्चय में 'बइकार' पाठ आया है।[1]

वादनिक—बाजा बजानेवाले, जिसे सभाश्रृंगार में 'वायण' कहा गया है[2]।

पदिक

वर्णरत्नाकर में छत्तीस पदिक के अन्तर्गत निम्न २९ अधिकारियों के नाम मिलते हैं[3]। इनमें भी कई ऊपर तथा पहले आ चुके हैं[4]।

महथ—वर्णरत्नाकर के अष्टम कल्लोल में राज्यवर्णन के अन्तर्गत 'महथि' परिचारक के रूप में आता है[5]। द्यूतगृह में भी 'महथि' का दर्शन होता है[6]। महतर से व्युत्पन्न होने के कारण इसका अर्थ मुखिया है।

मुदहथ—सं० मुद्राहस्त<प्रा० मुदहत्थ—मुद्राधिकारी।

महसाहनि—राज्यवर्णन के अन्तर्गत राजमहल के सेवकों में कलाकारों के मध्य इसका उल्लेख आया है[7]।

महसुआर—सं० महासूपकार का यह मैथिली रूप है, जिसका अर्थ है भोजनाधिकारी।

महल—देशीनाममाला के 'महाल'[8] पाठ से यह तुलनीय है जिसका अर्थ 'उपपति' है।

अखउलि—सं० अक्षपटल से इसकी व्युत्पत्ति है। राजकीय आय-व्यय के स्थान (दफ्तर) को अक्षपटल कहते थे। लेखाधिकारी अक्षयपटलिक कहलाता था। कौटिल्य ने अक्षपटल के अध्यक्ष के लिए निम्नलिखित विषयों को लिपिबद्ध करने का आदेश दिया है: शासन के अन्तर्गत रहनेवाले सभी विभागों की संख्या, उनके कर्त्तव्य सम्बन्धी नियम, खनिज पदार्थों का विवरण, रत्नों की जानकारी, देश का राजनीति, राजोपजीवी लोगों की भेंट, राजकर्मचारियों की वेतनप्राप्ति, हाथी-घोड़ों की खुराकी, राजा-रानी की निजी संपत्ति एवं शत्रु तथा मित्र राजाओं की सन्धि से प्राप्त धन[9]। चन्देले ताम्रपट्ट[10] (सं० ११०८) तथा चन्द्रदेव के चन्द्रावती दानपत्र[11] में अक्षपटलिक का उल्लेख मिलता है।

अहिकारी—ऊपर राजलोक सूची के अन्तर्गत 'अहिकारिक' पाठ से यह तुलनीय है[12]। 'अधिकारी' से व्युत्पन्न है। राजा इनकी सम्मति मानते थे।

---

१. वर्णकसमुच्चय, भा० २, पृ० ९६।
२. सभाश्रृंगार पृ० ५८।
३. वर्णरत्नाकर, पृ० ९-१०।
४. लेखक का निबंध, वर्णरत्नाकर के राज्याधिकारी जर्नल ऑफ् बि० सो० १९६४, पृ० १३१-५१।
५. वही, पृ० ६९।
६. वही, पृ० २४।
७. वही, पृ० ६९।
८. देशीनाममाला, वर्ग ६, गाथा ११६।
९. अर्थशास्त्र, २।७।
१०. एपिग्राफिका इंडिका, जि० २०, पृ० १२८।
११. वही, जि० ९, पृ० ३०५।
१२. वर्णरत्नाकर, पृ० ९। बिहार रिसर्च सोसायटी जर्नल, १९६४ ई०; पृ० १४४।

आसनउथि—आसन अधिकारी लगता है। अंगविज्जा के ठाणज्झय नामक सताइसवें अध्याय में सरकारी अधिकारियों के बीच 'आसनत्थ' का उल्लेख किया गया है, जो व्यवहारासन का अधिकारी ज्ञात होता है और वर्णरत्नाकर के पाठ से तुलनीय है।

अंगिमानि—आंगिवानी।

अंगरक्षक—शरीर रचना करने वाले के अर्थ में सुपासनाहचरिअ में अंगरक्ख[१] और वर्णरत्नाकर में ही 'अंगरक्षक'[२] पाठ इससे मिलते हैं। राजलोक के अन्तर्गत इसकी विवेचना की गई है।

सन्दगहि—संधिग्रह—सेंध पकड़ने वाले।

विश्वास—'राजलोक' की सूची में भी यह नाम आया है।

धर्माधिकरणिक—'धर्माधिकरणि' नाम से न्यायाधीश के अर्थ में 'राजलोक' की तालिका में विवेचन हुआ है।

ज्योतिरीश्वर ने राजलोक की पहली सूची के अन्तर्गत भी 'पुरपति' का उल्लेख किया है।[3]

राजवल्लभ—राजलोक के प्रसंग में उल्लेख आ चुका है।

राजपंडित—धर्मशास्त्र विभाग का मंत्री 'पंडित' हुआ करता था।
परिषद् में पंडित को प्रमुख स्थान दिया जाता था। शुक्रनीति में पंडित के कर्त्तव्य इस प्रकार बतलाए गये हैं—पंडित को इस बात का विचार करना चाहिए कि लोक में किन प्राचीन तथा अर्वाचीन धर्मों का व्यवहार होता है, उनमें से कौन धर्मशास्त्रों में मान्य है और कौन से धर्म या कानून न्याय-सिद्धान्त के विरुद्ध हैं, और तब राजा से उसे ऐसे धर्मों या कानूनों की सिफारिश करनी चाहिये जो इस लोक में भी और परलोक में भी सुखकर हों[४]। इस प्रकार राजपंडित को धर्माधिकार प्राप्त था जिससे प्रचलित धर्मों या कानूनों के सम्बन्ध में वे सर्वसाधारण के विचारों का भी ध्यान रखते थे। चण्डेश्वर ठाकुर ने राजनीतिरत्नाकर में कात्यायन के मत का उद्धरण देते हुए राजपंडित के महत्व को बताया है[५]।

स्थानान्तरिक—'राजलोक' तालिका में 'स्थानान्तरिक' पर विचार किया जा चुका है।

फुलकूट—माली का बोध कराता है।

नेउधि—देशीनाममाला के 'नेउड्ढ'[६] से व्युत्पन्न मान सकते हैं, जहाँ यह सद्भाव तथा शिष्टासूचक अर्थ में प्रयुक्त हैं।

---

१. सुपासनाहचरिअ, पृ० ५२७।

२. वर्णरत्नाकर, पृ० ९।

३. वर्णरत्नाकर, पृ० ८।

४. शुक्रनीति, २।९९-१००।

५. यदाकार्म्यवशाद्राजा न पश्येत्कार्य्यनिर्णयम्।
तदा तत्र नियुंजीत ब्राह्मणं शास्त्रपारगम्।। राजनीतिरत्नाकर, पृ० १६।

६. देशीनाममाला, ४।४४।

भण्डारी—हेमचन्द्र ने भाण्डार के अधिकारी अथवा खजांची को भाण्डागरिक कहा है[१]। अंगविज्जा में 'भांडागारिय' तथा 'भांडागारिक' दोनों पाठ हैं। सभाशृंगार में 'भांडारिक' पाठ है[२]। राज्य कोषाधिकारी (कीपर आफ् दि रायल ट्रेजरी) के अर्थ में 'भंडाकरिके' पाठ नासिक शिलालेख (क्र० १९) में मिलता है[3]। कन्नौज के चन्द्रावती ताम्रपट्ट में भी उल्लेख है[४]।

भट्टबलाधक—सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी (मन्त्री) को बलाधिकृत और महाबलाधिकृत[५] कहते थे। बाण ने बलाहक पुत्र महाबलाधिकृत का उल्लेख किया है[६]। राष्ट्रकूट के अनुदान (शाके ६७९) में बलाधिकृत का उल्लेख है[७]। यह शब्द वस्तुतः उतर मौर्यकालीन ही है क्योंकि अर्थशास्त्र में नहीं है। गुप्तकालीन अभिलेखों में सेना के विशेष अधिकारी के अर्थ में 'बलाधिकृति' का उल्लेख हुआ है[८]। बसरा की गुप्तकालीन मुद्राओं के साक्ष्य से महाबलाधिकृत के अधीन कई बलाधिकृत होते थे[९]। कन्नौज राजा चन्द्रदेव के अभिलेख में महाबलाधिकृत सेना का सर्वोच्च अधिकारी हैं[१०]। इसकी समता 'सेनापति' तथा महासेनापति से की गई है।

राजसन्निधानवर्तीलोक

इसके अन्तर्गत राजा के निकटस्थ कतिपय विश्वस्त अधिकारियों की तालिका दी गई है।[११]

गोआर—सं० गोपाल<प्रा० गोआल। गोधन पर नियुक्त अधिकारी से अभिप्राय है। अंगविज्जा में राजपुरुषों की तालिका में गोपाल[१२] महिसीपाल के साथ सन्निविष्ट है। कुमारपाल प्रतिबोध में गोकुल-रक्षक को गोउलिय[13] (गोकुलक) कहा गया है। गाय का निरीक्षण राजकीय कार्य समझा जाता था। गोऽध्यक्ष के लिए पाल लेखों से दूसरा शब्द 'गोकुल प्रमुखाधिकारी' मिलता है[१४]। इसका तात्पर्य वही है—गो का निरीक्षक'।

---

१. शब्दानुशासन, ६।४।७४।
२. सभाशृंगार, पृ० ५८।
३. एपिग्राफिका इंडिका, जि० ८, पृ० ९१।
४. वही, जि० ९; पृ० ३०२, ३०५।
५. हिन्दू राज्यतन्त्र, भाग २, पृ० २९५।
६. कादम्बरी, अनु० २१४।
७. पी० वी० काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जिल्द ३।
८. शाहपुर स्टोन इमेज, इस्क्रिप्शन ऑफ आदित्यसेन (६७२-७३ ई०), एपिग्राफिका इंडिका जि०, ४३, पृ० २१०।
९. साल्टोर लाइफ इन दि गुप्ता एज, पृ० २६४।
१०. एपि० इंडिका, भाग १४, पृ० १९४।
११. वर्णरत्नाकर, द्वितीय कल्लोल, स्थानवर्णना, पृ० ९-१०।
१२. अंगविज्जा, अ० २८, पृ० १६०।
१३. कुमारपाल प्रतिबोध, पृ० ३१।
१४. प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, पृ० ७९।

वारि—भोजन के पटल बनाने वाले 'वारि' होते हैं।

वारिक—भोजन परोसने वाले को मैथिली में वारिक कहते हैं। हर्षचरित में वारिक का अर्थ है सम्राट् के निजी सामान और माल-असबाब की रक्षा करने वाला उत्तरदायी कर्मचारी[१]। बाण के वर्णन के अनुसार काले कठोर कंधों पर मोटा लट्ठ रखे हुए राजा के वारिक, सम्राट्, के निजी इस्तेमाल की विविध सामग्री जैसे : सोने का पादपीठ, पानदान, पानी का कलसा, पीकदान और नहाने की द्रोणी को ले चलने के घमंड में लोगों को धक्के देकर बाहर निकाल देते थे[२]। ५९२ ई० के राजा विष्णुसेन के शिलालेख में वारिक कर्मचारियों का उल्लेख है। जो सम्राट् की निजी भूमि से प्राप्त अन्नादि की सार सम्भाल रखते थे[3]। नालंदा के मुद्रालेखों में भी वारिक कर्मचारियों की चर्चा आई है[४]।

वउरिआ—'वउलिआ' का पाठान्तर लगता है। राजलोक की पहली सूची में शूलधर के अर्थ में इसका उल्लेख किया गया है।

कनवार—सं० कल्यपाल<प्रा० कलवार। कलेवा बनाने वाले से तात्पर्य लगता है। आगे चलकर अफीम आदि मद्यों का सेवन और व्यवसाय ये करने लगे।

मुखिया—प्रधान (मुख्य) व्यक्ति।

वरिठा—स० वरिट्ठ। धोबी से अभिप्राय है। इसे आजकल 'बैठा' कहते हैं। सुपासनाहचरिअ[५] तथा उपदेशपद[६] नामक प्राकृत ग्रन्थों का पाठ 'वरिट्ठ' है।

चोरगाह—सं० चोरगाह से निष्पन्न है। चोर को पकड़ने वाले दंडपाशिक अर्थात् पुलिस अधिकारी से मतलब है। इसी अर्थ में अंगविज्जा का पाठ 'चोरघात' में मिलता है[७]। प्राचीन अभिलेखों में 'चोराद्धरणिक' पाठ भी उपलब्ध है[८]।

अगहरा—सं० अग्राहर<प्रा० अग्गाहार। 'राजापजीवक' प्रकरण में इसका उल्लेख हुआ है। दोष तथा अग्रहार भूमि के इस पदाधिकारी को 'दोषाध्यक्ष' भी कहा गया है। अशोक के धर्मलेख में धर्ममहामात्र के नाम से उल्लेख है।

सुखबोधा नामक प्राकृत ग्रन्थ में प्रा० अग्गाहार पाठ उच्चजीविका के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है[९]। कन्नोज के राजा चन्द्रदेव के अभिलेख में 'अग्रहारिक' पाठ है[१०]।

---

१. हर्षचरित, उच्छ्वास ७।

२. हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन पृ० १६१।

३. प्रोसिडिंग्स बंबई ओरिएंटल कान्फ्रेंस, १९४९, पृ० २७५।

४. हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० १६१, पादटिप्पणी।

५. सुपासनाहचरिअ, पृ० ४०३।

६. उपदेशपद, पृ० ३५८।

७. अंगविज्जा, अ० १८, पृ० १६१।

८. प्राचीन भारतीय अभिलेखों का अध्ययन, पृ० ७९।

९. सुखबोधाटीका, अध्ययन २, गाथा १३, (हस्तलिखित प्रति)

१०. एपिग्राफिका इंडिका, भाग १४, पृ० १९४।

राजपादोपजीवक

साम्राज्यतंत्र में एक सम्राट् की छत्रछाया में कई राजा होते थे तथा अनेक अधिकारीगण इनके नेतृत्व में शासन-संचालन में योगदान देते थे।

राजा—अधिकारियों की सूची के अन्तर्गत राजा का उल्लेख होना छोटे राजा को सिद्ध करता है। ऐसा लगता है मातहत के राजा राजपादोपजीवक व्यक्तियों के साथ राजसभा में बैठते थे।

शिष्ट—(कानसिलर[1]) राज्यसभा के सलाहकार सदस्य। ज्योतिरीश्वर ने स्थानवर्णना (राज-दरबार) के आरम्भ में ही राजदूत के अर्थ में शिष्ट का प्रयोग किया है[2]।

पदिक—मौर्यकाल में दस रथ और दस हाथी पर अधिकारप्राप्त अधिकारी को पदिक कहते थे[3]। पूर्वमध्यकाल में रथ का स्थान अश्व ने ले लिया था। ऐसा लगता है हाथी, घोड़े और पैदल सेना की सबसे छोटी टुकड़ी का यह नायक था।

शिष्टपुत्र —
श्रोत्रियपुत्र— } दोनों का राजोपजीवक प्रकरण में उल्लेख हो चुका है।

पदिकपुत्र—उपर्युक्त पदिक का पुत्र था।

वेदज्ञ—प्रातःकाल ये वेदयज्ञजन वेदध्वनि करते थे[4]।

वैद्य—आयुर्वेद-चिकित्सा का पेशा करते वाले। वर्णरत्नाकर में स्वतन्त्र रूप से वैद्यवर्णन है[5]।

वैदेशिक—दूसरे देश के व्यक्ति जो अधिकारी होते थे, वैदेशिक कहलाते थे।

वाक्षिक—कथावाचक के रूप में 'राजलोक' के अन्तर्गत भी इसका उल्लेख हुआ है।

वक्ता—शुक्रनीति के अनुसार मुकदमे की जाँच करनेवाले 'ज्यूरी' या कार्यपरीक्षक के अध्यक्ष, जो न्यायाधीश होते थे, 'वक्ता' कहलाते थे[6]। ज्योतिरीश्वर ने 'वणिक्पुत्र' को भी वक्ता कहा है[7]। जिससे इसका व्याख्यानदाता अर्थ लगता है।

व्यसनी—जिसे किसी विषय का बहुत शोक हो, व्यसनी कहलाता था। राजपुत्र, शिष्टपुत्र, भट्टपुत्र, वैदेशिक आदि द्यूत के व्यसनी थे[8]।

व्यावहारिक—कौटिल्य ने तीर्थवर्ग के अन्तर्गत विशिष्ट कार्याधिकारियों में 'पौरव्यावहारिक' की गणना की है[9]। वह नगरनिवासियों के व्यवहार तथा कानूनी बातों को निपटानेवाला अदालत का

---

१. आप्टे, संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी, पृ० ५५७।

२. अनेक राष्ट्रक राजा तन्हिक शिष्ट सेवा वइसल छथि। वर्णरत्नाकर पृ० १५।

३. अर्थशास्त्र, २०१६।

४. 'वेदज्ञजने वेदध्वनि आरहल'—वर्णरत्नाकर, प्रभातवर्णन, पृ० १५।

५. वर्णरत्नाकर, पृ० ६८।

६. शुक्रनीतिसार, ४। ५। २६-२७।

७. वर्णरत्नाकर, पृ० ६६।

८. वही, पृ० २५।

९. अर्थशास्त्र, १। १२।

मुख्य विचारक होता था। गोविन्दराज ने अठारह तीर्थों की व्याख्या करते हुए व्यावहारिक के स्थान पर परवर्ती काल में व्यवहृत होने वाला शब्द प्राड्विवाक दिया है[1]। पाली ग्रन्थों में केवल 'वोहारिक' शब्द ही मिलता है[2]।

विद्यावन्त—वर्णरत्नाकर के 'विद्यावन्त वर्णन' में संगीत, नृत्य और वाद्य के मर्मज्ञ को 'विद्यावन्त' कहा गया है[3]।

वादी—पूर्ववक्ता अथवा अदालत में अभियोग चलानेवाले व्यक्ति को कहा गया है।

व्यूहपति—सेना के व्यूह का नायक। युद्धभूमि में सेना की रचना विशिष्ट आकृति से की जाती थी, तब उसका संचालन व्यूहपति ही करता था।

बन्दीजन—स्तुति करने वाले बन्दी कहलाते थे जो प्रातःकाल तथा आखेट के लिए प्रयाण काल में राजा के समक्ष जय शब्द करते थे[4]। मौर्यकाल में विरुद्ध आदि सुनानेवाला सूत कहलाता था और उसकी गणना छोटे राज्याधिकारियों में होती थी।[5]

वाहक—आरोही सामान्य अर्थ हैं। यह भास्कर के अनुसार संगृहीता (राजकोष का अध्यक्ष) का भी अर्थ है—आग पकड़ने वाला अर्थात् वाहक[6]। वह जो शासन की आग पकड़कर राज्यप्रबन्धक का संचालन करता हो अर्थात् प्रधानमन्त्री भी वाहक है[7]।

मान्य—माननीय[8]। गुणधर्म के अनुरूप विशिष्ट आदरणीय अधिकारी।

मानज्ञ—माप-तौल का विशेषज्ञ।

मौहूर्तिक—ज्योतिषी, इसकी चर्चा ऊपर राजविनोदक लोक में हुई है।

मिश्र—(रिस्पैक्टेकुल आर वर्दी पर्सन)[9], आदरणीय व्यक्ति।

मेधावी—बुद्धिमान्।

मण्डलीक—ऊपर छोटे शासक के अर्थ में राजलोक के अन्तर्गत उल्लेख आ चुका है।

मल्ल—राजविनोदक के अन्तर्गत भी इसकी चर्चा 'पहलवान' के अर्थ में आई है। भरहुत से प्राप्त एक कलाकृति में दो व्यक्ति मल्लक्रीड़ा में लीन दिखलाए गये हैं[10]।

---

१. रामायण, २। १००। ३६।
२. हिन्दू राज्यतंत्र, भाग २, पृ० २६३।
३. वर्णरत्नाकर, पृ० ४७।
४. वही, प्रभातवर्णन, पृ० १५, आखेटवर्णन, पृ० ३६।
५. अर्थशास्त्र, ५। ३।
६. संग्रहीतु :....रश्मिग्राहिण: तैत्तिरीय संहिता, पृ० १४५।
७. 'रज्जुभिर्नियंता कुमाराध्यक्षं हत्यन्ये-उपरिवत् १
८. मेनां मुनीनामपि माननीयां, कुमार०, १। १८।
९. आप्टे, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, पृ० ४३९।
१०. भरहूत, आकृति, १४७।

महामल्ल—पहलवानों के सर्वोच्च अधिकारी के लिए कहा गया होगा।

मुखर—वाचाल। वाक्पटुता से प्रभावित करनेवाला अधिकारी हो सकता है।

मौहक—आकर्षक। सद्गुणों से समाकर्षित करनेवाला व्यक्ति हो सकता है।

मित्र—सुहृद्-राष्ट्र के प्रतिनिधि राजा के मित्र या सुहृद् कहे जाते थे। वे लोग राजवंश के अन्यान्य लोगों की भाँति अपने लिए कोई उच्च आकांक्षा या कामना नहीं रखते थे, बल्कि वे स्वभावतः राजा के पक्ष का समर्थन करने में ही अपना हित समझते थे। शुक्रनीति में सुहृद् वर्ग के सभासदों का उल्लेख है[१]।

महाजन—सभाश्रृंगार में भी राजसभा के अन्तर्गत महाजन का उल्लेख है। यह लेन-देन करनेवाला साहूकार ज्ञात होता है।

मनस्वी—ऊँचे मन वाले।

पण्डित—विद्वान्। सभाश्रृंगार में पंडितसभा का उल्लेख है[२]।

पाठक—स्वाध्यायी।

परम्परीण—परम्परागत दरबारी व्यक्ति से तात्पर्य है।

पेशल—दक्ष अथवा कुशल परिचारिका को भी पेशल कहा गया है[3]।

परमान्वित—विश्वस्त व्यक्ति।

प्रबन्धक—योग्य व्यवस्थापक।

पदाति—पैदल सिपाही।

याज्ञिक—यज्ञ करने वा कराने वाला।

यौध-यौद्धा—पाणिनि के 'राजयुध्वा' से यह तुलनीय है जो राजा को मल्लयुद्ध का अभ्यास कराता था[४]। वर्णरत्नाकर में राजा का व्यायाम उसकी दिनचर्या का अंग था।

युवराज—राज्य का उत्तराधिकारी राजकुमार।

यांगलिक—सपेरा का विषवैद्य जो जांगलिक कहे जाते थे।

जनकार—जण्णकार, यज्ञकार।

जयवादी—जयध्वनि करने वाले।

भरतज्ञ—नाट्यशास्त्र का जानकार।

भोजनकुशल—भोजन पकाने में कुशल।

सभाकुशल—सभा में निपुण।

वन्धकुशल—छन्दोबद्ध कविता रचने में निपुण।

---

१. शुक्रनीति ८३। १।

२. सभाश्रृंगार, पृ० ५८।

३. वर्णरत्नाकर, पृ० ६९।

४. अष्टाध्यायी, ३।२।९५।

कवि—कविता करने वाला।

सुकवि—ललित काव्य रचयिता। 'सुन्दर' का प्रतिपादक।

सत्कवि—लोकमंगल की भावना से कविता लिखनेवाला।

महाकवि—महाकाव्य का रचयिता।

कुमर—छोटा राजकुमार। शिलालेखों में 'कुमाल' पाठ भी मिलता है[१]।

कुतूहली—कौतुकी, जिसको देखने की उत्सुकता हो। राजविनोदक लोक में चर्चा की गई है।

कण्टकीया—वह जो परेशान करे।

केचारी—यह सं० कृतिकर से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है जादूगर। संदेशराशक में 'कहुवारिहि' पाठ है।

कर्मस्थानी—कार्यलिपी।

कथक—कथा कहने की पेशा करने वाला। कौटिल्य ने इसे 'इसे 'वाग्जीवन' कहा है[२]।

कायस्थ—ताम्रपत्रों का लेखनकार्य करनेवाले तथा गाँवों का प्रमाणपत्र रखनेवाले कायस्थ होते थे। वैद्य दस्तावेजों को लिखनेवाले करण कायस्थ होते थे। यह शब्द चम्बा शिलालेख क्र० २५ में मिलता है[3]। गुप्तकाल के दामोदरपुर ताम्रलेखों में रजिस्ट्रार के अर्थ में कायस्थ कहा गया है।[४]

गावर—?

गायन—गायक के अर्थ में राजलोक में वर्णन हो चुका है।

वंशगायन—वंशीवादक से तात्पर्य है।

वीणागायन—इसका भी अभिप्राय वीणा बजाने वाले से है।

नट—रस्सी बाँस आदि की सहायता से विविध प्रकार की कूद-फाँद दिखलाते थे। कौटिल्य ने इसे 'पल्वक' कहा है[५]। उन दिनों नट अभिनेता होता था। भरहूत के एक वेदिका स्तम्भ पर पन्द्रह पुरुष एक के ऊपर एक खड़े होकर एक शिखर का निर्माण करते दिखलाए गये हैं[६]।

नर्तक—राजलोक में आया है। कौटिल्य ने भी इसका उल्लेख गणिकाध्यक्ष का कर्तव्य बताते हुए किया है[७]।

नीतिज्ञ—कार्यविशेष को सिद्ध करने में युक्तिकुशल।

नायक—सेनानायक।

नागर—नागरक अर्थात् नगर का शासन चलाने वाला।

हिन्दी एवं हरियाणवी संस्कृति विभाग
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।

१. कारपस इन्सक्रीप्शंस इंडिकेरम, भाग १, पृ० ९३, ९७।
मथुरा सिंहस्तम्भ—इनस० इंडि०, भाग २, पृ० ४०, ४८।

२. अर्थशास्त्र, २।२८।

३. पी० वी० काणे, हिस्ट्री आव धर्मशास्त्र, भाग ३।

४. एपिग्राफिका इंडिका जि० १५, पृ० १३३।

५. अर्थशास्त्र, २। २८।

६. सतीशचन्द्र काला, भरहूत स्कल्पचर्स, जर्नल आव दी यू० पी हिस्टोरिकल सोसाइटी संख्या १८, १९४५, पृ० ९७।

७. अर्थशास्त्र, २। २८।

THE JOURNAL

OF

THE BIHAR RESEARCH SOCIETY

Vols. LXXIV & LXXV January-December 1988-89 Pts. I-IV

Chief Editor

UPENDRA THAKUR



PUBLISHED BY

THE BIHAR RESEARCH SOCIETY

PATNA